संख्या-10 /2017-3868/नौ-5-16-01बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2017

विषय:: वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद की पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु द्वतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 236/नागर-2/033-410/16, दिनांक 29.11.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-283/2015-2076/नौ-5-15-1 बजट/2015, दिनांक 13.08.2015 राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद की पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 9717.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 3886.00 लाख (रू0 अड़तीस करोड़ छियासी लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी, का व्यय हो जाने के आलोक में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 412.94 लाख (रू0 चार करोड़ बारह लाख चौरान्वे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) शासनादेश संख्या-283/2015-2076/नौ-5-15-1 बजट/2015, दिनांक 13.08.2015 द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा उप सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्ययवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्त आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेय हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जा किये जा रहे है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या-10/2017-3968/नौ-5-16-01बजट/2015 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/फिरोजाबाद ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (आ0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
9- अध्यक्षा/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद ।
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-03/01/2017

प्रेषण संख्या:- 10

आवंटन आदेश संख्या:- 001-10-2017-3868-9-5-16-01B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम

06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	41294000 100000000	41294000 100000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	41294000 100000000	41294000 100000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ बारह लाख चौरानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी